कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी।

पत्रांक 253 मानचित्र संख्या 13/एम/13–14 दिनांक 20-7-13

सेवा मे,

श्री अमित आर0गुप्ता पुत्र स्वं. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
कैम्पटी रोड श्रीनगर इस्टेट
मसूरी।

विषयः– भवन मानचित्र संख्या 13/एम/13–14 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा इस कार्यालय मे दिनांक 18–7–2013 को प्रस्तुत मानचित्र संख्या 13/एम/13–14 स्थल मसूरी स्थित श्रीनगर इस्टेट मसूरी पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, के सम्बन्ध मे सूचित करना है कि स्थल का की प्लान स्पष्ट नही है साईट प्लान के अवलोकन से स्थल खुले भाग मे स्थित है। प्रस्ताव एकल आवासीय है। भवन उपविधि 2011 के विन्दु सं0 3.2.1(1) के अनुसार सामान्यता खुले/अविकसित क्षेत्रो मे एकल आवासीय भवन प्लान पर स्वीकृति सम्बन्धित क्षेत्र के तल पट मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त ही विचाराणीय होने का उल्लेख है इसके अतिरिक्त श्रीनगर इस्टेट राजकीय गजट नोटिफिकेशन सं0 2361/xIv –B-394–60 दिनांक 21–4–1966 केसूची कमांक 73 अनुसार प्राइवेट फौरेस्ट इस्टेट के रूप मे नोटिफाईड है। जिसमे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होगे,एवं प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उक्त अधिनियम के तहत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। प्रश्नगत स्थल फ्रिज जोन से बाहय क्षेत्र मे स्थित है व खुले क्षेत्र का भाग है।

अतः उपरोक्त आपत्ति के कारण प्रश्नगत मानचित्र प्रस्ताव पर विचार नही किया जा सकता है। मानचित्र प्रस्ताव उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 15-07-13 के कम मे अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार सूचित हो।

ह0/
सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

GOVT. OF UTTARAKHAND NOTARY

ATTESTED 12/8/13
(RAJENDER SINGH NEGI)
Advocate & NOTARY
Collectorate Court Compound
Dehra Dun

2